भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 01
गुरुवार, 29 जनवरी, 2026/9 माघ, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

उड़ान योजना के तहत वायु मार्ग

01. श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा:
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी:
श्री प्रदीप कुमार सिंह:
श्री दिलीप शइकीया:
श्री तापिर गाव:
श्री अनुराग शर्मा:
श्री योगेन्द्र चांदोलिया:
श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहान:
श्री खगेन मुर्मु:
डॉ. संजय जायसवाल:
श्री दामोदर अग्रवाल:
श्री प्रदीप पुरोहित:
श्री राजीव प्रताप रूडी:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ान योजना की वर्तमान स्थिति क्या है और इसकी शुरुआत के बाद से अब तक इसके अंतर्गत कुल कितने वायु मार्ग प्रचालित किए गए हैं तथा इससे कितने हवाईअड्डे जोड़े गए हैं और कितने यात्री लाभान्वित हुए हैं;

(ख) 2025-26 के बजट में घोषित संशोधित उड़ान योजना और अगले दशक में नए गंतव्यों को जोड़ने के इसके लक्ष्य का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पुनर्निर्मित योजना के अंतर्गत दूरस्थ, पहाड़ी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विमान संपर्क बढ़ाने के लिए क्षेत्र-वार क्या विशिष्ट उपाय किए जा रहे हैं;

(घ) इस हेतु आज की तिथि तक संवितरित व्यवहार्यता अंतराल-पूर्वी निधि का ब्यौरा क्या है और वायु मार्गों की संवहनीयता की निगरानी के लिए क्या तंत्र मौजूद है; और

(ङ) क्या सरकार का उक्त योजना के तहत राजस्थान में नई हवाई पट्टियां निर्मित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ग): दिनांक 20.01.2026 तक, देशभर में 15 हेलीपोर्टों और 2 वाटर एयरोड्रोमों सहित 93 असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों को जोड़ने वाले 657 मार्गों को प्रचालनरत किया गया है और 1.6 करोड़ से अधिक घरेलू यात्रियों ने क्षेत्रीय संपर्क योजना –

उड़े देश का आम नागरिक (आरसीएस-उड़ान) योजना की 3.27 लाख से अधिक उड़ानों में यात्रा की है।

सरकार ने अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने और 4 करोड़ यात्रियों को सेवा प्रदान करने के लिए संशोधित उड़ान योजना शुरू करने की घोषणा की है। यह योजना पहाड़ी, आकांक्षी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में हेलीपैड और छोटे हवाईअड्डों को भी सहायता प्रदान करेगी। यह योजना वर्तमान में अनुमोदन चरण में है।

(घ) और (ङ): चयनित एयरलाइन प्रचालकों को सहायता प्रदान करने के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) के लिए 4494 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई है। मार्गों की संधारणीयता सुनिश्चित करने के लिए, उड़ान योजना क्षेत्रीय मार्गों पर एयरलाइन प्रचालकों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: एयरलाइन प्रचालन लागत को कम करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा दी जाने वाली रियायतें और ऐसे मार्गों पर परिचालन लागत और अपेक्षित राजस्व के बीच अंतर को पाटने के लिए वीजीएफ प्रदान करना।

उड़ान योजना के तहत, मौजूदा असेवित/अल्पसेवित हवाईपट्टियों/हवाईअड्डों/वॉटर एयरोड्रोमों की सूची को उड़ान योजना में शामिल करने के लिए संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाता है। यदि राजस्थान राज्य सरकार हवाईपट्टियों की मौजूदगी की सूचना देती है तथा उड़ान योजना में इनको शामिल करने का अनुरोध करती है, तो उन्हें योजना दस्तावेज में शामिल किया जा सकता है।
